माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी, के समक्ष

रोशन लाल,-अपीलार्थी।

बनाम

म्यूनिसिपल कमेटी, नाभा ,-उत्तरदाता।

आर. एस. ए. 1995 का सं. 1473

17अगस्त, 1995

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 9- अधिकारिता- अधिकारिता की अनुपस्थिति में और अधिकारिता के प्रयोग में त्रुटि के बीच अंतर।

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल न्यायालय पर लगाई गई सीमा क्षेत्रीय या आर्थिक हो सकती है या मुकदमे की विषय वस्तु या मुकदमे की प्रकृति या फिर उस श्रेणी के वर्ग को संदर्भित कर सकती है जिससे विवाद संदर्भित करता है। अधिकारिता की अनुपस्थिति में और इसके प्रयोग में त्रुटि के बीच के अंतर को ठीक से समझना और व्याख्या करना आवशयक है। अधिकारिता का बहिष्करण विशिष्ट हो सकता है या एक मजबूत निहितार्थ द्वारा माना जा सकता है।

(पैरा 2)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन के बावजूद सिविल न्यायालय किसी वाद पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने का हकदार होगा यदि यह आग्रह किया जाता है कि विशेष क़ानून के तहत शक्ति का प्रयोग कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कानून के तहत इसे मुकदमा करने के लिए अधिकृत नहीं है या यह कि निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न अधिनियम के दायरे से बाहर था। सिवल न्यायालय को भी मुकदमा पर विचार करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण ने एक विशेष अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों को पार कर लिया है।

(पैरा 4)

आर. के. अग्रवाल, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता की ओर से।*

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी

(1) प्रतिवादी /नगरपालिका समिति को वादी के संबंध में गृहकर की बकाया राशि के रूप में मांगी गई राशि और वाद में उल्लिखित वर्षों की वसूली से रोकने के लिए अपीलकर्ता का मुकदमा नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सिविल न्यायालय

के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ।योग्यता के आधार पर भी, वादी को प्रतिवादी-समिति को उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।अब यह तर्क दिया गया है कि नीचे दिए गए न्यायालयों का यह मानना उचित नहीं था कि दीवानी न्यायालय को मुकदमा पर विचार करने और अनुतोष देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि न्यायालय के पास सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने की अधिकारिता है , सिवाय उन मुकदमों के जिनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। मुक़दमे की सुनवाई करने के लिए न्यायालय के अधिकारिता का सवाल का वादी के मुक़दमा करने के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। दीवानी न्यायालय पर लगाई गई सीमा परिधीय या आर्थिक हो सकती है या मुकदमे की विषय वस्तु या मुकदमे की प्रकृति या उस श्रेणी के वर्ग को संदर्भित कर सकती है जिसे विवाद संदर्भित करता है। अधिकारिता की अनुपस्थिति में और इसके प्रयोग में त्रुटि के बीच के अंतर को ठीक से समझना और व्याख्या करना आवशयक है। अधिकारिता का बहिष्करण विशिष्ट हो सकता है या एक मजबूत हस्तक्षेप द्वारा माना जा सकता है। विधायिका के पास सिविल प्रकृति के मामलों के एक विशेष वर्ग के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को रोकने की शक्ति है, बशर्ते कि ऐसा करने में विधायिका खुद को अपने प्रभार तक सीमित कानून के क्षेत्र में रखे और संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करे।

(3) पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 को राज्य में नगरपालिकाओं के प्रशासन में बेहतर प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 3 (i) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के वार्षिक मूल्य को परिभाषित करती है। धारा 84 में किसी भी कर के निर्धारण या लेवी के खिलाफ या अधिनियम के तहत किसी भी कर को वापस करने से इनकार करने के खिलाफ अपील का प्रावधान है। अपील खंड में उल्लिखित प्राधिकारी के समक्ष दायर की जानी है और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटारा किया जाना है । अधिनियम की धारा 86 में प्रावधान है कि किसी भी मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और न ही किसी व्यक्ति के मूल्यांकन या कर लगाए जाने वाले दायित्व पर किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्न किया जाएगा, सिवाय इसके कि अगर अधिनियम में कोई प्रावधान किया गया है तो । इसलिए, अधिनियम की धारा 86 एक बहुत मजबूत निहितार्थ द्वारा किसी व्यक्ति के मूल्यांकन या कर लगाए जाने वाले मूल्यांकन या दायित्व के बारे में प्रश्न निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकारिता को समाप्त करती है। अधिनियम की धारा 84 के तहत पीड़ित पक्ष को वैकल्पिक उपाय प्रदान किया गया है।

(4) यह सच है कि अधिकारिता के बहिष्करण के बावजूद, सिविल न्यायालय मुकदमे पर विचार करने और वाद का निर्णय करने का हकदार होगा यदि यह आग्रह किया जाता है कि विशेष क़ानून के तहत शक्ति का उपयोग कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कानून के तहत निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है या निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न अधिनियमन के दायरे से परे था। सिविल न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने के लिए भी उचित ठहराया जा

सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण ने एक विशेष क़ानून के तहत उसे दी गई शक्तियों को पार कर लिया है।

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुंशी *राम बनाम* छेहरता *नगरपालिका* ए. आई. आर., 1979 एस. सी. 1250 मामले में सी. पी. सी. की धारा 9 और पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 84 और धारा 86 के दायरे पर विचार किया और कहाः–

"यह अच्छी तरह से माना गया है कि मूल्यांकन से पीड़ित व्यक्ति के लिए राजस्व अधिनियम यह प्रावधान करता है कि एक विशेष मंच में एक विशेष तरीके से एक विशेष उपाय की मांग की जानी चाहिए, और उसे उस मंच में ही और उस तरीके से ही मांगा जाना चाहिए, और इसे मांगने के अन्य सभी मंचों और तरीकों को बाहर रखा गया है। इस सिद्धांत के आलोक में, यह स्पष्ट है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 84 और 86, अपरिहार्य निहितार्थ से, सिविल न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाधित करती है, जहां पक्ष की शिकायत इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन या मूल्यांकन के सिद्धांत से संबंधित है।"अदालत ने फर्म सेठ राधा किशन बनाम *प्रशासक नगर समिति, लुधियाना* ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1547 *में अपने पहले के* फैसले की पुष्टि की।

फर्म सूरजमल बंशीधर बनाम नगर निगम बोर्ड, *गंगानगर* 1979 ए. आई. आर.,एस. सी. 246 *पर* विद्वान *अधिवक्ता की निर्भरता* गलत है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 9 की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया और केवल "नगर निगम बोर्ड द्वारा कर लगाने के संबंध में दावे पर सीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता" का फैसला किया।

(6) तेजिंदर कौर बनाम एम. सी. तरन तारन *1983 पी. एल. जे 335* , और 'एम. *सी. भटिंडा* बनाम कृष्ण *लाई और* एक अन्य *1986 पी. एल. जे 651 पर* अपीलकर्ता *के लिए विद्वान अधिवक्ता* की निर्भरता भी गलत है क्योंकि इन मामलों के तथ्य और उनमें निर्णय लिए गए कानून के बिंदु इस अपील में निर्धारित किए जाने वाले कानून के बिंदुओं के समान नहीं थे।

(7) इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जिसे तदनुसार सीमा में खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा